

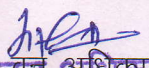
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति उपखण्ड सराडा

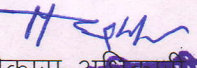
— : कार्यवाही विवरण : —

उप मुख्य अभियन्ता निर्माण उत्तर पश्चिम रेल्वे उदयपुर के पत्र क्रमांक Dy-CE/C/W-207/Const.Udz/Land दिनांक 01.09.2015 के अनुसार उदयपुर — हिम्मतनगर के मध्य प्रस्तावित आमान परिवर्तन हेतु उपखण्ड सराडा जिला उदयपुर के अधीन वन विभाग की सरकारी भूमि को रेल्वे विभाग को हस्तान्तरित करने हेतु दिनांक 29.09.2015 को निम्नानुसार प्रस्ताव उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।

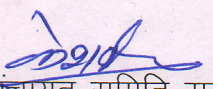
उदयपुर — हिम्मतनगर के मध्य प्रस्तावित आमान परिवर्तन के लिए वनाधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उदयपुर जिले के राजस्व ग्राम एकलिंगपुरा की 3.3234 हैक्टर, ग्राम ओडा 0.9788 हैक्टर एवं ग्राम बगुरुवा की 20.6437 हैक्टर वन विभाग की सरकारी भूमि की आवश्यकता है। इस प्रकार से उपखण्ड सराडा के तीनों ग्रामों की कुल प्रभावित 24.9459 हैक्टर भूमि रेल्वे विभाग को हस्तान्तरित किया जाना है।

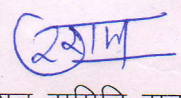
अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति के समक्ष तीनों ग्राम पंचायतों की ग्राम सभाओं में अनुमोदन कि उदयपुर — हिम्मतनगर के मध्य प्रस्तावित आमान परिवर्तन हेतु उक्त वन भूमि रेल्वे विभाग को हस्तान्तरित किये जाने पर उपखण्ड सराडा के तीनों ग्राम पंचायतों को किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है। ग्राम सभाओं से प्राप्त प्रस्ताव एवं अनुशंषा के आधार पर उदयपुर — हिम्मतनगर के मध्य प्रस्तावित आमान परिवर्तन हेतु 24.9459 हैक्टर वन भूमि हस्तान्तरण किये जाने की उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति सराडा द्वारा अनुशंषा की जाती है।

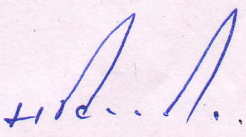

क्षेत्रीय वन अधिकारी
सराडा
वन मण्डल-उदयपुर


विकास अधिकारी
पंचायत समिति सराडा


उपखण्ड अधिकारी
उप खण्ड अधिकारी
सराडा, जिला-उदयपुर


पंचायत समिति सदस्य
सराडा


पंचायत समिति सदस्य
सराडा


पंचायत समिति सदस्य
सराडा